रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 1979/ पौष 13, 1900

No. 12] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 1979/PAUSA 13, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1979

का. आ. 13 (अ).—केन्द्रीय सरकार, हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1978 (1978 का 13) की धारा 34 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित उस धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1978 (1978 का 13) अभिप्रेत है ;

(ख) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

3. सूचना के लिए समय-सीमा—ऐसी सम्पत्ति का, जो अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है, प्रत्येक बन्धकधार और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसी सम्पत्ति में, या उसके सम्बन्ध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित रखता है, ऐसे बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित की सूचना आयुक्त को ऐसी तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर देगा जो धारा 19 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए :

परन्तु यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा बन्धकदार या ऐसा भार, धारणाधिकार या अन्य हित रखने वाला व्यक्ति उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर किसी पर्याप्त कारण से सूचना देने से निवारित रहा था तो वह उससे आगे तीस दिन की अवधि के भीतर सूचना प्राप्त कर सकता है किन्तु उसके बाद नहीं।

4. सूचना की रीति—(1) नियम 3 के अधीन आयुक्त को दी जाने वाली प्रत्येक सूचना, आयुक्त को संबोधित तथा लिखित रूप में होगी और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :—

(क) बन्धकदार या भार, धारणाधिकारी या अन्य हित रखने वाले, व्यक्ति का नाम, वर्णन और पूरा पता ;

(ख) उस सम्पत्ति की विशिष्टियां जिससे ऐसा बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित संबंधित है,

(ग) ऐसे बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित के अधीन देय रकम (भारतीय मुद्रा में) ;

(घ) उस लिखत की, यदि कोई है, विशिष्टियां जिससे बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित सृष्ट हुआ है । इसके समर्थन में लिखत की अनुप्रमाणित प्रति भी होनी चाहिए ;

(ङ) यदि कोई रकम पहले प्राप्त कर ली गई है तो उसकी विशिष्टियां ;

(च) बन्धक, भार, धारणाधिकार, या अन्य हित से सुसंगत कोई अन्य विशिष्टियां ;

(छ) दावाकृत अनुतोष ।

(2) ऐसी प्रत्येक सूचना, बन्धकदार या ऐसा भार, धारणाधिकार या अन्य हित रखने वाले व्यक्ति या ऐसे बन्धकदार या व्यक्ति द्वारा सम्यक्तः प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित की जाएगी ।

(3) ऐसी प्रत्येक सूचना, बड़ौदा में आयुक्त के कार्यालय में सभी कार्य दिवसों को कार्यालय समय के दौरान, फाइल की जा सकती है या रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है ।

[फा. सं. 5(40)/78-ए इ-आई (11)]

ए. एफ. कोटो, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Heavy Industry)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 1979

S.O. 13(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 34 read with clause (a) of sub-section (2) of that section of the Hindustan Tractors Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1978 (13 of 1978), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Hindustan Tractors Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions—In these rules, unless the context otherwise requires —

(a) "Act" means the Hindustan Tractors Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1978 (13 of 78);

(b) "section" means a section of the Act.

3. Time-limit for intimation.—Every mortgage of any property which has vested under the Act in the Central Government and every person holding any charge, lien or other interest in, or in relation to, any such property, shall give intimation of such mortgage, charge, lien or other interest to the Commissioner within a period of thirty days from such date as may be specified by the Central Government under section 19 :

Provided that if the Commissioner is satisfied that such mortgagee or person holding charge, lien or other interest was prevented by sufficient cause from giving the intimation within the said period of thirty days, the Commissioner may receive the intimation within a further period of thirty days and not thereafter.

4. Manner of Intimation—(1) Every intimation to be given to the Commissioner under rule 3 shall be in writing, addressed to the Commissioner, and shall contain the following particulars, namely ;

(a) name, description and full address of the mortgagee or person holding charge, lien or other interest ;

(b) particulars of the property in respect of which such mortage, charge, lien or other interest is held ;

(c) amount due under such mortgage, charge, lien or other interest (in Indian currency);

(d) particulars of the instrument, if any, by which the mortgage, charge lien or other interest is created, supported by an attested copy of the instrument ;

(e) amount, if any already received with particulars;

(f) any other particulars relevant to the mortgage, charge, lien or other interest;

(g) relief claimed.

(2) Every such intimation shall be duly signed and verified by the mortgagee, or the person holding the charge, lien or other interest or a person duly authorised by such mortgagee or person;

(3) Every such intimation may be filed in the Office of the Commissioner at Baroda on all working days during office hours or may be sent to the Commissioner by registered post, with acknowledgement due.

[F. No. 5(40)/78-AEI(II)]

A. F. COUTO, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979